भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 439
22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए समिति
439. श्री बापी हलदरः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी प्रदान करने हेतु गठित समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार देश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने की योजना बना रही है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार ने जुलाई, 2022 में दिनांक 18-07-2022 की अधिसूचना के तहत किसानों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक आदि को सम्मिलित करते हुए समिति का गठन किया था। इसका उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और देश की बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल पद्धति में बदलाव लाना है। अपनी स्थापना के बाद से, यह समिति इन प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और कार्रवाई योग्य सिफारिशें तैयार करने के लिए नियमित बैठकें कर रही है।

*****